

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की कम संख्या

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद बलरामपुर में बलरामपुर-उतरौला मार्ग(एस.एच.-26) किमी0-24-23 में मध्य बायी पट्टी पर भारत पेट्रोलियम का0लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प रिटेलआउट लेट की स्थापना हेतु आवागमन हेतु संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 0.08391 हे0 का हस्तान्तरण ।
	(1)राज्य/संघ भाासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश ।
	(2) जिला	बलरामपुर
	(3) वन प्रभाग	गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा ।
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.08391
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन ।
	(6) हरियाली का घनत्व	0.39
	(7)प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एक आर0एल0 4 मीटर भी(संलग्न की जाये)	नहीं ।
	(8) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन गतिता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	नहीं ।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।	05 किमी0 लगभग
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व,बाघ रिजर्व,हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें ।	नहीं ।
	(11) क्या क्षेत्र में बनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें ।	नहीं ।
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण -पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	नहीं ।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है ।	हाँ ।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया हाँ/नहीं/यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोशी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें । क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है ।	नहीं ।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	-

मानाव वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार ।	बलरामपुर-उतरौला मार्ग (एस.एच.-26) किमी0-24-23 के मध्य बायी पटरी पर 100 वृक्षों का त्रिकर्ग बनाकर रोपण
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न (टोपोशीट)/डिजिटल मैप
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	संलग्न है ।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	4,48,553.00(चार लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ त्रिपन्न रुपये मात्र)
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण -पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय ।	क्षेत्र उपयुक्त है एवं प्रमाण पत्र संलग्न है ।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्त कालम 7(11,12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है ।
12	विभाग/ जिला प्रोफाइल	—
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2883.00 वर्ग किमी0या(288300.00 हे0)
	(2) जिले का वन क्षेत्र	8084.137 हे0(गोण्डा वन प्रभाग के वन का क्षेत्रफल बलरामपुर जिले के अन्तर्गत)
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	22 मामले (74.71 हे0)(गोण्डा वन प्रभाग)
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	93.910 हे0 (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.468
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	39.442
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति ।	
	(क) वन भूमि पर	42.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	36.730 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस	जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है ।

दिनांक—

22/11/20

सहायक वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा